



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032020-218636
CG-DL-E-13032020-218636

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 897]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2020/फाल्गुन 16, 1941

No. 897]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2020/PHALGUNA 16, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2020

का.आ. 1001(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि डोलबारी से जामुगुरी हैट असम राज्य के सोनितपुर जिले में NH52 के कि.मी. 17.300 से कि.मी. 182.00 से (डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तेज़पुर सोनितपुर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

डोलबारी से जामुगुरी हैट असम राज्य के सोनितपुर जिले में NH37A के कि. मी. 17.300 से NH52 के कि. मी. 182.00 जोड़ता है (डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तेज़पुर सोनितपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: असम		जिले का नाम: सोनितपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: तेज़पुर					
गांव का नाम: बातमारी					
1	110 / सरकारी	सरकारी	नो क्लास	0.1800000(हेक्टेयर)	0.1800000
2	112 / 12 AP	निजी	बारी	0.0430000(हेक्टेयर)	0.0430000
3	117 / सरकारी	सरकारी	नो क्लास	0.0270000(हेक्टेयर)	0.0270000
4	119 / सरकारी	सरकारी	बारी	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
5	120 / 148	निजी	बारी	0.0210000(हेक्टेयर)	0.0210000
6	121 / 23 AP	निजी	बारी	0.0270000(हेक्टेयर)	0.0270000
7	123 / 67	निजी	बारी	0.0810000(हेक्टेयर)	0.0810000
8	124 / 67	निजी	बाल बारी	0.0090000(हेक्टेयर)	0.0090000
9	125 / 152	निजी	बारी	0.0550000(हेक्टेयर)	0.0550000
10	355 / सरकारी	सरकारी	नो क्लास	0.0810000(हेक्टेयर)	0.0810000
11	358 / 6	निजी	B.फारिंग	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
12	406 / 174	निजी	बारी	0.1750000(हेक्टेयर)	0.1750000
13	431 / 181	निजी	बाल बारी	0.0670000(हेक्टेयर)	0.0670000
14	432 / 186	निजी	बाल बारी	0.0130000(हेक्टेयर)	0.0130000
15	433 / 187	निजी	बाल बारी	0.0030000(हेक्टेयर)	0.0030000
16	467 / 199	निजी	बाल बारी	0.0410000(हेक्टेयर)	0.0410000

17	490 / 213	निजी	बारी	0.0410000(हेक्टेयर)	0.0410000
18	570 / 280	निजी	बाल बारी	0.0410000(हेक्टेयर)	0.0410000
19	571 / 282	निजी	बाल बारी	0.0180000(हेक्टेयर)	0.0180000
कुल				1.0330	1.0330

[फा.सं. 1321/3A5]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2020

S.O. 1001(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Dolabari to Jamugurihat NH in the stretch of land from Km. 17.300 (NH 37A) to Connecting Km. 182.00 (NH 52) (DC Office Tezpur Sonitpur) in the district of SONITPUR in the State of ASSAM, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Deputy Commissioner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Dolabari to Jamugurihat in the stretch of land from Km. 17.300 (NH 37A) to Connecting Km. 182.00 (NH 52) (DC Office Tezpur Sonitpur) in the district of SONITPUR in the State of ASSAM

State: ASSAM		District: SONITPUR			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Tezpur					
Village: Batamari					
1	110 / govt	Government	No. Class	0.1800000(Hectare)	0.1800000
2	112 / 12 AP	Private	Bari	0.0430000(Hectare)	0.0430000
3	117 / Gov.	Government	No. Class	0.0270000(Hectare)	0.0270000
4	119 / Gov.	Government	Bari	0.0800000(Hectare)	0.0800000
5	120 / 148	Private	Bari	0.0210000(Hectare)	0.0210000
6	121 / 23 AP	Private	Bari	0.0270000(Hectare)	0.0270000

7	123 / 67	Private	Bari	0.0810000(Hectare)	0.0810000
8	124 / 67	Private	Bal bari	0.0090000(Hectare)	0.0090000
9	125 /152	Private	Bari	0.0550000(Hectare)	0.0550000
10	355 / Govt.	Government	No. Class	0.0810000(Hectare)	0.0810000
11	358 / 6	Private	B.faring	0.0300000(Hectare)	0.0300000
12	406 / 174	Private	bari	0.1750000(Hectare)	0.1750000
13	431 / 181	Private	Bal bari	0.0670000(Hectare)	0.0670000
14	432 / 186	Private	Bal bari	0.0130000(Hectare)	0.0130000
15	433 / 187	Private	Bal bari	0.0030000(Hectare)	0.0030000
16	467 / 199	Private	Bal bari	0.0410000(Hectare)	0.0410000
17	490 / 213	Private	Bari	0.0410000(Hectare)	0.0410000
18	570 / 280	Private	Bal bari	0.0410000(Hectare)	0.0410000
19	571 / 282	Private	Bal bari	0.0180000(Hectare)	0.0180000
Total				1.0330	1.0330

[F. No. 1321/3A5]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.